नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2020:1.00 PM

सूचना का अधिकार दिवस (12 अक्टूबर) पर विशेष रिपोर्ट : डिजिटल इंडिया पर डिजिटल गवर्नेन्स नहीं

· 15 वर्षों (2005 -2019) में देश के कुल 3,32,71 ,034 करोड़ (लगभग 2.6 प्रतिशत) लोगों ने किया सूचना के अधिकार का इस्तेमाल, देश के सूचना आयोगों के समक्ष अब तक 23 लाख से अधिक द्वितीय अपील एवं शिकायत दर्ज किये गए।

· देशभर में संघ एवं राज्य सूचना आयोग में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल में दिए गये निर्देश के बावजूद कुल 160 पद में 38 पद खाली (4 मुख्य सूचना आयुक्त केंद्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं गोवा) 2019 के तुलना में भी अधिक बढ़ गयी रिक्तियाँ (2019 -155 पदों में से 24 पद ही रिक्त) ।

· राज्यवार सूचना के अधिकार के प्रयोग में केंद्र सरकार के बाद, महाराष्ट्र सर्वोच्च स्थान पर, कर्नाटक एवं तमिलनाडु को दूसरा तथा तीसरा स्थान

· अधिकांश राज्य सूचना आयोग ने अपनी कई वर्ष से वार्षिक रिपोर्ट तक नहीं प्रकाशित की, वार्षिक रिपोर्ट के मामलें में छत्तीसगढ़ सबसे बेहतर, गुजरात एवं राजस्थान भी संतोषजनक

· बिहार सहित 3 राज्यों के सूचना आयोग की वेबसाइट तक बंद, कुछ राज्यों ने ही चालू की है, कोरोना के समय ऑनलाइन सुनवाई भी अधिकांश राज्य में नहीं।

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2020:11.30 AM

देश में 12 अक्टूबर को आरटीआई दिवस मनाया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की मूल प्रस्तावना में ही कहा गया है कि 'सूचित नागरिकता' व 'सूचना की पारदर्शिता' प्रभावी लोकतंत्र हेतु इसलिए अपेक्षित है क्योंकि इससे प्रशासन में भ्रष्टाचार को मिटाते हुए अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य संचालित हो सकेंगे । 12 अक्टूबर, 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम केन्द्र सरकार, सभी राज्य सरकारों स्थानीय शहरी निकायों, पंचायती-राज संस्थाओं में लागू है। कानून बनने के बाद यह माना जा रहा था कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्रियाकलापों में पारदर्शिता आएगी। सूचना का अधिकार अधिनियम आने के 15 वर्ष उपरांत भी व्याप्त गोपनीयता की कार्यसंस्कृति के कारण अधिकारियों की सोच में परिवर्तन की रफ़्तार धीमी है। शासन में जन-जन की भागीदारी सफल लोकतंत्र का मूलमंत्र है किंतु ये सब क़िताबी बातें ही हैं।

भ्रष्टाचार एवं पारदर्शिता पर काम करने वाली संस्था "ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया' ' की ओर से जारी चौथे वार्षिक रिपोर्ट - स्टेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के अनुसार कानून के तहत सूचना का अधिकार मिलने के 15 वर्षों (2005-2019) में उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर देश के मात्र 3.33 करोड़ (महज़ 2. 5 %)ने इस अधिकार का इस्तेमाल किया है। संस्था ने आरटीआई एक्ट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम मसलन 25(2), सेक्शन 19(1), सेक्शन 19(2), सेक्शन 20(1), रिक्त पद, बजट, वार्षिक रिपोर्ट एवं वेबसाइट पर फोकस कर रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में राज्य सूचना आयोग

से जानकारी प्राप्त कर आँकड़े को साझा किया गया है। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत केन्द्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा जानकारियां मांगी गयी, साल 2005 से 2018-19 तक की अविध के दौरान केन्द्रीय स्तर के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से संबंधित जानकारियो के सन्दर्भ में कुल 92 ,63 ,564 आवेदन प्राप्त हुये।

सूचना के अधिकार का प्रयोग करने में कुल आवेदनों की संख्या के आधार पर पाँच अग्रणी राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडू ,केरल एवं गुजरात है । संख्या के आधार पर सबसे कम प्रयोग करने वाले राज्यों में मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय तथा अरूणाचल प्रदेश का स्थान है। उत्तर प्रदेश और बिहार के आँकड़े समय से प्रकाशित ना होने के कारण अधिक नहीं दिख रहे हैं । राज्य में जानकारियां मांगने वालों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। आलोच्य अवधि के दौरान महाराष्ट्र में आरटीआई के कुल 69 ,36 ,564 आवेदन मिले। इसी अवधि में कर्नाटक के कुल 30 ,50 ,947 , तमिलनाडु में 26,91,396 (2019 तक) ने अपने इस अधिकार का प्रयोग किया।

सूचना आयोगों में द्वितीय अपील एवं शिकायत

सूचना के अधिकार अधिनियम धारा 19(3) एवं धारा 18 के तहत - कुल द्वितीय अपील एवं शिकायतों की संख्या 22 लाख से अधिक रही, द्वितीय अपील एवं शिकायतों की कुल संख्या के आधार पर तमिलनाडु ,केन्द्रीय सरकार , महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, एवं बिहार सर्वोच्च 5 अग्रणी राज्य है।

समीक्षाधीन अवधि में देश भर के कुल आरटीआई आवेदनों में केन्द्रीय सूचना आयोग को कुल अपील एवं शिकायत 3 ,02 ,080 (वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार) अपील एवं शिकायत प्राप्त हुये। इसी प्रकार द्वितीय अपील एवं शिकायत हासिल करने में तमिलनाडू में 4,61,812, महाराष्ट्र में 2,77,228 प्रपत्र दाखिल किये गये।

'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया' के कार्यकारी निदेशक रमा नाथ झा ने कहा, ''सूचना का अधिकार निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के उन्मूलन का कारगर हथियार है, लेकिन शुरू के कुछ वर्ष के बाद इस कानून की धार को सभी सरकारों ने कम किया है , कोर्ट ने भी अपने फ़ैसले में सूचना के अधिकार कानून को मज़बूत करने के जगह पर ब्रेक लगाने की दिशा में काम किया है। कानून बनने के बाद से केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार ने इसकी जागरूकता के लिये कोई विशेष प्रयास नहीं किये, अतः अभी तक पारदर्शी तंत्र के लिए सरकारी तंत्र तैयार नहीं हुआ हैं, गांव में आज भी आरटीआई लगाने का मतलब लोग शिकायत करना समझते हैं, शायद जनता के पास अपनी हर समस्या का समाधान करने का अभी भी यही कारगर अधिकार हैं।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के कार्यकारी निदेशक रमा नाथ झा ने कहा कि कानून लागू होने के 15 साल बाद भी देश में शक्तिशाली कुर्सियों पर बैठे लोगों की मानसिकता नहीं बदली हैं, वो सूचना देने की जगह टालमटोल करने में यकीन रखते हैं. आँकडों से पता चलता है कि 50-60 प्रतिशत से ज्यादा आरटीआई अर्जियां गांवों से लगाई जाती हैं न कि आरटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा। श्री झा ने कहा '' सूचना आयोग में रिक्तियाँ देशभर में संघ एवं राज्य सूचना आयोग में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल में दिए गये निर्देश के बावजूद कुल 160 पद में 38 पद (4 मुख्य सूचना आयुक्त) अभी भी

रिक्त हैं, 2019 में कुल 155 पदों में से 24 ही पद रिक्त थे। आरटीआई के बेहतर निष्पादन, जागरूकता, आदि मानकों के आधार पर राज्यों की रैंकिंग जारी करने से राज्य सरकार पर कुछ असर होगा ।

सूचना आयोग वार्षिक रिपोर्ट तक प्रकाशित नहीं

आरटीआई के क्रियान्वयन एवं निष्पादन के आधार पर टीआईआई द्वारा किये गये विश्लेषण में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान अधिकांश राज्य सूचना आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन की समयसीमा का पालन नहीं किया।

हालांकि, केन्द्रीय सूचना आयोग सहित कुछ राज्यों ने ही साल 2017-18 एवं 2018 -19 तक अपनी वार्षिक रिपोर्ट को प्रकाशित किया था। छत्तीसगढ़ ने सभी वार्षिक प्रतिवेदन 2019 तक प्रस्तुत किए हैं, जबकि मध्य प्रदेश, झारखण्ड,बिहार एवं कुछ राज्यों के सूचना आयोग ने वार्षिक रिर्पोट बनाने या प्रकाशित करने में काफी विलम्ब किया। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग वर्ष 2005 से अब तक वार्षिक रिर्पोट सार्वजनिक करने में असमर्थ रहा है। वर्ष 2017-18 में 28 में से केवल 9-10 राज्यों ने अपना वार्षिक प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर रखा है।

आरटीआई के पालन को लेकर जारी वैश्विक रैंकिंग में भारत की रैकिंग नीचे गिरकर वर्ष 2018 में 7वें पायदान (वर्ष 2020 में) भी पर पहुंच गई हैं, जबकि पूर्व में भारत का स्थान दूसरा था। खास बात यह है कि जिन देशों को भारत से ऊपर स्थान मिला है, उनमें से ज्यादातर देश ने भारत के बाद इस कानून को अपने यहाँ लागू किया है।

सूचना आयोग की वेबसाइट

बिहार सहित राज्यों के सूचना आयोग की वेबसाइट उपलब्ध नहीं है या बंद पड़ी हुई हैं।

विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें-

रमा नाथ झा - कार्यकारी निदेशक, टी आई आई - मो० 9312961506